



सन्दर्भ सं. सीजीटीएमएसई / 44/208

01 जनवरी 2024

सभी पात्र अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों- (सीजीएससीएल सीजीएस - III)

परिपत्र: 236/2023- 24

महोदया /प्रिय महोदय,

वार्षिक गारंटी शुल्क संरचना के तहत सह-उधार के लिए ऋण गारंटी योजना (सीजीएससी एल – सीजीएस III)

कृपया सीजीएससीएल-सीजीएस III के तहत वार्षिक गारंटी शुल्क संरचना में संशोधन विषय पर हमारे 31 मार्च, 2023 के परिपत्र संख्या 223/2022-23 और गारंटी की सीमा को ₹ 200 लाख से बढ़ाकर ₹ 500 लाख करने के संबंध में हमारे द्वारा बाद में जारी 18 दिसंबर, 2023 के परिपत्र संख्या 235/2023-24 का संदर्भ लें। तदनुसार, सीजीएससीएल-सीजीएस III के तहत अद्यतन शुल्क संरचना नीचे दी गई है:

स्लैब (₹)	मानक दर * (%प्रति वर्ष)
0-10 लाख	0.37
10 लाख से ऊपर 50 लाख तक	0.55
50 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक	0.60
1 करोड़ से ऊपर 2 करोड़ तक	1.20
2 करोड़ से ऊपर 5 करोड़ तक	1.35

- वार्षिक गारंटी शुल्क पहले वर्ष के लिए गारंटीकृत राशि पर और ऋण सुविधा की शेष अवधि के लिए बकाया राशि पर लिया जाएगा।

उपर्युक्त शुल्क संरचना 01 जनवरी, 2024 को या उसके बाद सदस्य ऋण दात्री की पात्र जोड़ी द्वारा स्वीकृत सभी ऋणों के लिए लागू होगी।

सीजीएस-III के अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। कृपया इस परिपत्र की विषय-वस्तु को अपने सभी कार्यालयों के ध्यान में लाएँ।

भवदीय,

ह/-

(धीरज कुमार)
उप महाप्रबन्धक

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (भारत सरकार एवं सिडबी द्वारा स्थापित)

1ली मंजिल, सिडबी स्वावलंबन भवन, एवेन्यू 3, लेन 2, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू.), मुंबई - 400 051.

Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (Set up by Government of India & SIDBI)

1st Floor, SIDBI Swavalamban Bhavan, Avenue 3, Lane 2, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051.

+91-22-67531553 | www.cgtmse.in | 1800 222 659 | @CGTMSEOfficial | CGTMSE Youtube Channel | @CGTMSEOfficial

